

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/193/2015-1/188/2015

लेखनका: दिनांक 31 मार्च, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य स्तर से कमरा: केन्द्रांश रु० 3962.545 लाख व राज्यांश रु० 2641.669 लाख इस प्रकार कुल रु० 6604.174 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शोसनादेश संख्या-11/2016/888/33-3-2016-100(16)/2015 दिनांक 31 मार्च, 2016 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत आय-व्ययक में अवशेष धनराशि रु० 6604.174 लाख धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश रु० 3962.545 लाख व राज्यांश रु० 2641.669 लाख इस प्रकार कुल रु० 6604.174 लाख (छाछठ करोड़ चार लाख सत्तरह हजार चार सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित रातों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1— आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-२/2015/बी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/2015 दिनांक 30मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित रातों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3— उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य संकाम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4— इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्षणों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5— भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लेखनका में उ०प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन के नाम से खोले गये खाता संख्या-521302010060034, आई०एफ०एस०सी० कोड यू थी आई एन- 0522035 में जमा किया जायेगा।

6— भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु-13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित खाते से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भीरत मिशन(ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त सम्बन्धित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चक्षु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-स्वच्छ भारत मिशन

(ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के.75 / रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायगा।

8— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934 / दस-2008- मित-1 / 2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत गार्ह निर्माण पर स्वच्छ भारत निशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।


11— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-112 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

  
(अनिल कुमार दोले)  
निदेशक,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1 / शा0 / 193 / 1 / 2015 उक्तादिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— उप निदेशक(पं0) / योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 7— एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
(केशव सिंह)  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,  
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-31/03/2016

प्रेषण संख्या:- ११२८१९३१२८६-११४८/२०१५

आवंटन आदेश संख्या:- 006-188-2015

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

03 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वैतन)	योग	
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० , लखनऊ-०१-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	660417400 6404575000	660417400 6404575000
	योग	वर्तमान प्रगामी	660417400 6404575000	660417400 6404575000

महायोग- (वर्तमान

आवंटन):-

रूपया छियासठ करोड़ चार लाख सत्रह हजार चार सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: अरब चालीस करोड़ पैतालीस लाख पचहत्तर हजार

  
(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,